

प्रेस विज्ञप्ति  
जनपद -बस्ती

दिनांक:-25.05.2021

**थाना गौर पुलिस द्वारा थाना गौर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सीकरी में हुए मार-पीट के कारण हुई नूर अली की हत्या मे दो और अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री आशीष श्रीवास्तव के आदेश के क्रम में जनपद बस्ती में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी हरैया श्री शेषमणि उपाध्याय के नेतृत्व मे प्रभारी निरीक्षक गौर शमशेर बहादुर सिंह मय पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 92/2021 धारा 302/ 147/ 323/ 504/ 188 IPC व 3 माहामारी अधिनियम व 51(B) आपदा प्रबंधन अधिनियम का सफल अनावरण करते हुए मूखबिर खास की सूचना पर दो अभियुक्तों को आज दिनांक 25.05.2021 को समय 11:15 बजे अंबरपुर मोड़ पर गाड़ी का इंतजार करते हुए गिरफ्तार किया गया।  
**गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-**

- (01) रामजीत राजभर पुत्र रामदुलारे निवासी ग्राम बेलहिया थाना गौर जनपद बस्ती।
- (02) रामजी चौधरी पुत्र त्रिभुवन निवासी ग्राम बेलहिया थाना गौर जनपद बस्ती।

**घटना का संक्षिप्त विवरण:-**

दिनांक:-15.05.2021 को गुलाम हुसैन पुत्र स्व0 दिलबहार ग्राम धोबहिया मौजा बेलहिया थाना गौर जनपद बस्ती द्वारा थाना गौर जनपद बस्ती पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि मेरे भाई का लड़का मोहम्मद इब्राहिम पुत्र नसीर उम्र करीब 19 वर्ष व दो-तीन और छोटे-छोटे बच्चे सोमई के बगीचे में बकरी चरा रहे थे कि बकरी चराने की बात को लेकर रामजीत राजभर पुत्र रामदुलारे, रामजी चौधरी पुत्र त्रिभुवन ,बकरी को मारने से मना किया तो उसको मुक्का से मारने लगे जिसके शोर-गुल की आवाज को सुनकर एवं देखकर मेरा भाई नूर अली पुत्र दिलबहार, श्रीमती समसून पत्नी अब्दुल हमीद, मो0 जुनैद पुत्र मो0 सईद, रुसतम अली पुत्र मो0 चाँद व जिब्राइल पुत्र मो0 नसीर बीच-बचाव करने गये तो उनको भी उपरोक्त सभी विपक्षीगण द्वारा मिलकर लाठी डण्डा से मारते हुए गाली-गलौज देने लगे। मेरे भाई नूर अली व समसून को काफी चोटे लगी थी जिसके कारण हम लोग दोनों को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गौर ईलाज हेतु ले गये थे जहाँ ईलाज के दौरान अस्पताल परिसर में चोट लगने के कारण नूर अली की मृत्यु हो गयी तथा समसून का ईलाज चल रहा है।

**जिसके सम्बन्ध में थाना गौर जनपद बस्ती पर मु0अ0सं0 92/2021 धारा 302/ 147/ 323/ 504/ 188 IPC व 3 माहामारी अधिनियम व 51(B) आपदा प्रबंधन अधिनियम पंजीकृत किया गया।**

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

- (01) प्रभारी निरीक्षक गौर श्री शमशेर बहादुर सिंह जनपद बस्ती।
- (02) उपनिरीक्षक श्री जयप्रकाश पाण्डेय थाना गौर जनपद बस्ती।
- (03) मुख्य आरक्षी विनय यादव थाना गौर जनपद बस्ती।
- (04) आरक्षी अभिषेक शर्मा थाना गौर जनपद बस्ती।